मांग संख्या 18

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1

नवगठित 05 श्रम पदाधिकारी कार्यालयों (सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई) के कार्यालय व्यय (फर्नीचर कार्यालय उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन किराया) हेतु ₹20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹20,00,000 का नवीन मद के रूप में प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 2

श्रम विभाग अंतर्गत मंडलों के निर्माण/असंगठित श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं का लाभ प्रदाय करने तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के पालन हेतु कार्यवाही ऑनलाईन संपादित किए जाने हेतु **''श्रमेव जयते''** वेबपोर्टल के लिए सर्वर क्रय एवं संचालन हेतु ₹200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,00,00,000 का नवीन मद के रूप में प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 3

श्रम विभाग अंतर्गत 03 मंडलों यथा-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल, असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मंडल तथा ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल संबंधी योजनाओं हेतु प्रावधानित राज्य के अंशदान के एक अम्ब्रैला स्कीम अंतर्गत समेकित होने से ''**अटल श्रम सशक्तिकरण योजना''** अंतर्गत ₹12,000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,20,00,00,000 का नवीन मद के रूप में प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4250

मद क्रमांक 4

राज्य औद्योगिक न्यायालय के सदस्य जज हेतु 01 नग नवीन वाहन तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु 01 नग नवीन वाहन एवं 01 नग मोटर साईकिल क्रय के लिए ₹15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹15,00,000 का नवीन मद के रूप में प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 5

माननीय श्रम मंत्री (पदेन अध्यक्ष, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल) हेतु 01 नग नवीन वाहन तथा मंडल कार्यालय हेतु 02 नग नवीन वाहन क्रय हेतु ₹33.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹33,00,000 का नवीन मद के रूप में प्रावधान किया गया है ।